



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, झवालियर

प्रिनिगरानी/फरनी/शूरा/2017/4112

प्रकरण क्रमांक

12017 निगरानी/पुनरीक्षण याचिका

दिनांक 31-10-17 का
श्री सुनील कुमार धोपड़ा
अधिकारी कामा अनुत्तर।

31-10-17
50

प्र० ५६० ८-11-17

No ↘
08-11-2017 ↗

श्रीराम मिश्रा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद मिश्रा
आयु- 37 वर्ष, व्यवसाय- पुजारी/
प्रबंधकर्ता निवासी- ठाकुर श्री
रामजानकी मंदिर मस्तराम अखाड़ा,
वैकट वार्ड-13 तहसील व जिला
कटनी (म.प्र.)

-- निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता
बनाम

1. श्री राम जानकी मंदिर द्वारा
अध्यक्ष/सर्वराहकार श्री पन्नालाल
सरावगी पुत्र स्व. श्री छेदीलाल सरावगी
निवासी- गांधीगंज जिला कटनी (म.प्र.)
2. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री पदम
दीक्षित- उपाध्यक्ष
3. श्री संतोष कुमार सरावगी पुत्र श्री
मोतीलाल सरावगी- द्रस्टी एवं सचिव
4. श्री अभिलाश दीक्षित पुत्र श्री पदम
दीक्षित- द्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष
5. श्री राजकुमार सरावगी- द्रस्टी
निवासीगण/स्थित- श्री रामजानकी
मंदिर जिला- कटनी
6. भूमि मंदिर श्री राम जानकी जी
प्रबन्धक कलेक्टर महोदय वैकट वार्ड,
तहसील व जिला कटनी (म.प्र.)

-- प्रतिनिगरानीकर्तागण/प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील व
जिला कटनी (म.प्र.) आदेश दिनांक 18-07-2017 प्रकरण
क्रमांक 175/A6A/15-16 अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू
राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

विनम्र प्रार्थना प्रार्थी की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार
प्रस्तुत है-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/कटनी/भू.रा./2017/4112

जिला - कटनी

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
06/03/2018	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता को समय-समय पर तीन बार आवाज लगवाई गई, किंतु फिर भी कोई उपस्थित नहीं है। अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">~ प्रशासकीय सदस्य</p> 	